

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2024 — भाद्रपद 8, शक 1946

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 अगस्त 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-44 / 2020 / वा.क.(आब.) / पांच(64).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक II सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज), सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13), द्वारा प्रदत्त शवितरों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-44 / 2020 / वा.कर(आब.) / पांच(58), नवा रायपुर, दिनांक 25.04.2020 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम-8 के उपनियम (1) के खण्ड (ट-2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :—

“(ट-2)— छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.एम.सी.एल.) द्वारा विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड (एफ.ए.ल.10 अनुज्ञाप्तिधारी) से क्रय की गई समस्त विदेशी मदिरा पर 01 सितम्बर, 2024 से सी.एस.एम.सी.एल. के क्रय दर पर 9.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त झूटी अधिरोपित की जावेगी।”

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 01-09-2024 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 22nd August 2024

NOTIFICATION

No. F 10-44/2020/CT(Ex.)/V(64).— In exercise of the powers conferred under (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) along with sub-rule (13) of rule 18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rule, 1996, the State Government hereby repeals the prior notification S.No. F 10-44 /2020/C.T.(Ex.)/V(58), Naya Raipur, Dated 25-04-2024 and does following further more amendment in Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, i.e.:-

AMENDMENT

In the above rules, (K-2) of Sub-Rule (1) of Rule-8 to be replaced as follows -

“(K-2) - An additional duty shall be imposed on all the purchase of Foreign Liquor by Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL) from Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited (CSBCL), F.L.10 licensee, for the retail foreign liquor shops, from 01 September 2024. The additional duty shall be at the rate of 9.5% on the purchase price of CSMCL.

2. This notification shall be valid from 01-09-2024.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.